"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 जुलाई 2009— श्रावण 9, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री प्रदीप पंत, भा. व. से., सचिव, लोक सेवा आयोग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त-सह संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री पंत द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विजयेन्द्र, भा. प्र. से. (एएम-1991) आयुक्त-सह संचालक, खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.

2. श्री जेवियर तिग्गा, भा. प्र. से. (2000), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक सेवा आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2009

क्रमांक ई-7/10/2005/1 /2.—श्री अजयपाल सिंह, भा. प्र. से., आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 13-07-2009 से 21-07-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ दिनांक 11 एवं 12 जुलाई, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सिंह के उक्त अवकाश अवधि में श्री जे. एस. वाटवे, संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छ. ग., रायपुर का कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2009

क्रमांक ई-7/2/2008/1 /2.—श्री भुवनेश यादव, भा. प्र. से., तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भोपालपटनम, जिला बीजापुर को दिनांक 05-03-2009 से 28-03-2009 तक (24 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29-03-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री यादव की अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2009

क्रमांक 778/639/2009/1/8/स्था.—श्री अजय कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 10-6-2009 से 27-6-2009 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार पाण्डेय को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2009

क्रमांक 780/510/2009/1-8/स्था.—इस विभाग के ओदश क्रमांक 257-258/154/2009/1-8/स्था., दिनांक 9-3-2009 द्वारा डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 1-4-2009 से 30-4-2009 तक स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1-5-2009 से 6-5-2009 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा 2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 9-3-2009 के अनुसार यथावत् होगी.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2009

क्रमांक /802/698/2009/1-8/स्था.—श्री मनोहर केसवानी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 27-7-2009 से 29-8-2009 तक 34 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर केसवानी को अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री मनोहर केसवानी अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2009

क्रमांक 804/699/2009/1-8/स्था.—श्री बी. एल. अहिरवार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 6-7-2009 से 10-7-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. अहिरवार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2009

संशोधित

क्रमांक 4290/डी-1527/21-ब/छ. ग./09.—सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम 1988 का सं. 3) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक 1219/डी-457/21-ब/छ. ग./09 दिनांक 13-02-2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, श्री संदीप बख्शी, सत्र न्यायाधीश, रायपुर को तत्काल प्रभाव से रायपुर जिले में विशेष न्यायालय, सती (निवारण) अधिनियम, 1987 रायपुर का न्यायाधीश नियुक्त करती है.

No. 4290/D-1527/XXI-B/C. G./09.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (Central Act No. 3 of 1988), in consultation with the Hon' ble High Court of Chhattisgarh and in supersession of this department's order No. 1219/D-457/XXI-B/C. G./09, dated 13-12-2009, the State Government hereby appoints Shri Sandeep Buxy, Sessions Judge, Raipur as Judge of the Special Court for the trial of offence under the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

Raipur, the 27th June 2009

No./ F-1-17/2009/ESTT./IV.— In pursuance of R. B. I's approval, vide their letter No. Dated DBOD (BPL) No. 16819/22-03-001/2008-2009 April 18, 2009, Government of Chhattigarh, here by authorise the S. B. I. branch referred below, for Govt. receipts and payments transactions arising out of Distt. treasury Raipur, in replacement of S. B. I. main branch, Raipur.

(1) State Bank of India, Specialized Government Business Branch Raipur, Main branch premises District, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. B. KALE, Under Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक /क/वा./भू. अ./अविअ/प्र. क्र. 12 अ. 82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			ख. नं.	रकबा (हे. मे.)		
रायपुर	आरंग	बड़गांव प. ह. नं. 9/76	1336	0.32	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायपुर.	बड़गांव-कुण्डा मार्ग के कि. मी. 4/10 पर कोल्हान नाला पर पुल निर्माण.
			1337	0.16		
			योग 2	**0.49**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 जुलाई 2009

क्रमांक 07/अ-82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनयम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मटसगरा	0.238	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	घोघा जलाशय योजना के अंतर्गत मटसगरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 16 जुलाई 2009

क्रमांक /3702/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	बरदेभाठा	19.24	कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मण्डल, जगदलपुर.	आवास गृह निर्माण हेतु

कांकेर, दिनांक 17 जुलाई 2009

क्रमांक/3737/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	चौगेल	4.15	तहसीलदार, भानुप्रतापपुर	नक्सली पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु आवास गृह निर्माण बाबत.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चंपावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक/5203/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	झुरानदी प. ह. नं. 20	9.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान	भेण्डरा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक /5205/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	गभरा प.ह. नं 19	5.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	भेण्डरा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 जुलाई 2009

क्रमांक /5206/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	सिंघोला प. ह. न. 25	0.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	शिवनाथ व्यपवर्तन (चांदो) योजना के शाखा नहर, नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 04 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र./8/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	राजपुर	आरा	0.148	कार्यालय अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.2 अम्बिकापुर, सरगुजा.	गागर व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नकशा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 04 जुलाई 2009

रा. प्र. क्र./09/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	राजपुर	कक्ना	0.060	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.2 अम्बिकापुर, सरगुजा.	गागर व्यपवर्तन योजनान्तर्गत स्टोर हेतु.

भूमि का नकशा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जल संसाधन, सरगुजा एवं कोरिया, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 1 जुलाई 2009

क्रमांक /1011/0 3 अ/82/ 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भीमपुरी, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.84 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
240	0.43
241/1	0.41
योग	0.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई 2009

क्रमांक /09/अ-82/भू-अर्जन/ 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खैरी प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
159	0.12
160/1	0.08
160/2	0.08
12[illegible]	0.08
128/1	0.23
128/2	0.04
125	0.40
3	0.01
8	0.13
12	0.05
13	0.01
11	0.04
9	0.02
1[illegible]	0.06
133	0.22
139	0.18
4	0.08
6	0.01
1[illegible]	0.02
132/1	0.25
योग	2.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- टेंगना जलाशय योजना में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

दुर्ग, दिनांक 20 जुलाई 2009

क्रमांक /08/3 अ-82/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-नवागढ़

(ग) नगर/ग्राम-नगधा प. ह. नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 4.90 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	730/1	0.05
	730/2	0.38
	730/3	0.42
	732	0.28
	734	0.72
	735	1.45
	736	0.60
	760/2	1.00
योग	8	4.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- परसदा जलाशय योजना.

(3) भूमि का नकशा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10 जुलाई 2009

क्रमांक 2507/भू-अर्जन/06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-गीदम

(ग) नगर/ग्राम-फरसपाल, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.19 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	316	0.12
	328	0.09
	317	0.20
	329	0.17
	346/1	0.22
	346/2	0.12
	382	0.16
	549	0.03
	386	0.05
	548	0.07
	391	0.35
	541	0.07
	542	0.10
	546	0.10
	555	0.20
	556	0.15
	591/2	0.10
	592	0.15
	593	0.15
	595	0.02
	597	0.10
	598	0.08
	600	0.11
	601	0.09
	604	0.10
	756	0.09
योग		3.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- फरसपाल जलाशय हेतु नहर नाली के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 19 मई 2009

क्रमांक 01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-अमलडीहा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.360 हेक्टेयर.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/4	0.360
योग	1	0.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- फरसवानी उप शाखा नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 19 मई 2009

क्रमांक /02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-बुढ़ियापाली, प. ह. नं. 79
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.874 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	722	0.162
	724	0.336
	727/2	0.081
	726/1	0.162
	737/1	0.09[illegible]
	737/2 क	0.040
योग	6	0.874

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लिमगांव माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी

धमतरी, दिनांक 6 जुलाई 2009

क्रमांक क/स्था. निर्वा./न. नि. निर्वा./2009/2178.—श्री राधेश्याम नागर्ची, पार्षद, वार्ड क्रमांक 11, नगर पंचायत, मगरलोड के द्वारा अपने घरेलू कार्य में व्यस्तता के कारण पार्षद पद से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है.

नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 की उपधारा 2 के अंतर्गत श्री राधेश्याम नागर्ची, पार्षद, वार्ड क्रमांक 11, नगर पंचायत, मगरलोड का त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है.

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर.

कार्यालय, गन्ना आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2009

क्रमांक /गन्ना /रक्षण /2009-10/09.—मैं, के. श्रीनिवासुलू, गन्ना आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा के लिए जारी गन्ना क्षेत्र आरक्षण अधिसूचना क्रमांक/गन्ना/रक्षण/2009-10/01-2 दिनांक 23-06-09 में निर्धारित बिन्दु क्रमांक 1 "शक्कर कारखाना प्रबंधन द्वारा एक माह के अंदर कारखाने के 15 कि. मी. परिधि के पश्चात् प्रत्येक 10 कि. मी. की परिधि में गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने होंगे तथा उसकी सूचना गन्ना आयुक्त को देनी होगी." को आगामी आदेश तक विलोपित करता हूं. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा.

के. श्रीनिवासुलू,
गन्ना आयुक्त.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th June 2009

No. 431/Confdl./2009/II-3-14/2000/.— On the application of Ku. Himanshu Jain, I Civil Judge Class-II, Dhamtari, to permit her to write "Shrimati" in place of "Kumari" before her name, she is, hereby, permitted to write "Shrimati" in place of "Kumari" before her name. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 1st July 2009

No. 122/L. G./2009/II-215/2002.— Shri A. K. Panda, District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted earned leave for 05 days from 13-07-2009 to 17-07-2009 and permission to prefix holidays of 11th & 12th July, 2009 and suffix holiday of 18th & 19th July, 2009 along with permission to remain out of headquarters from the morning of 11-07-2009 till the evening of 19-07-2009.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Panda, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By Order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

(BEFORE : HON'BLE SHRI JUSTICE SUNIL KUMAR SINHA)

ELECTION PETITION NO. 02/2009

(Banwari Lal Agrawal Vs Jai Singh Agrawal)

Banwari Lal Agrawal
S/o-late Shridhar Agrawal
Age 61 Years, Ward No. 3
R/o-Durupa Road,
P. O. Korba, District-Korba (C. G.) **Petitioner**

Versus

Jai Singh Agrawal
S/o-Shri Ramkumar Agrawal
Aged about 49 Years
R/o- Shanti Niwas, Agrasen Marg, Ward No. 3,
Dewangan Para, Post Office-Korba (C. G.) **Respondent**

To,

Jai Singh Agrawal
S/o-Shri Ramkumar Agrawal
Aged about 49 Years
R/o-Shanti Niwas, Agrasen Marg, Ward No. 3
Dewangan Para, Post Office-Korba (C. G.)

Subject :- Notice of withdrawal of Election Petition.

Please take notice that one Shri Banwari lal Agrawal has filed an Election Petition u/s 80, 80-A & 81 of Representation of People Act, 1951 for declaring the Election of Respondent as void.

On 01-05-2009, counsel for petitioner has filed an application (I. A. No. 8) for withdrawal of Election Petition. The said application is fixed for hearing before the Hon'ble Court on 10-08-2009.

GIVEN UNDER MY HAND AND SEAL OF THIS HIGH COURT ON THIS THIRTITH DAY OF JUNE TWO THOUSAND NINE.

By Order of the High Court,
N. D. TIGALA, Additional Registrar (J).